सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

FORM NO.III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर

श्रीमती स्वीरा व अन्य बनाम श्री शम्भुदयाल व अन्य

मु0न0 38 सन 2019

मुकदमा रेस्टोरेशन प्रा० पत्र

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म कीतामील में जारी हुए
25-7-19	वकील प्रार्थीगण उपस्थित। प्रार्थना पत्र पर जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। मिसल बाद दर्ज रजिस्टर होकर वास्ते सुनवाई हेतु दिनांक 06-8-19 को पेश हो। (जसमीतसिंह संधू) उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर ब्यावर	
06-8-19	वकुला.ए.फरी.उप./पी.ओ.सा.दीगर प्रशा. कार्यो व्यस्त/ राजकार्य हेतु जयपुर पधारे हैं। मिसल वास्ते नियत कार्यवाही हेतु पी.ओ.सा.के समक्ष दिनांक 14/8/19 को पेश हों।	14-8-19
14-8-19	वकुला ए फरीकेन उपस्थित। वकील उभयपक्ष की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई, वकील प्रार्थी के कथन कमोबेश उनके प्रार्थना पत्र अनुसार ही रहे जिस पर अधिवक्ता अप्रार्थी ने अनापत्ति जाहिर करते हुए वाद/टी. आई. प्रा. पत्र रेस्टोर किये जाने का निवेदन किया। बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि दिनांक 22.07.2019 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज़ किया गया था। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किए हैं कि उक्त दिनांक 22.07.2019 को अन्य न्यायालयों की कार्यवाही में व्यस्त होने से न्यायालय में गैर हाजिर रहे। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना में किए गए कथन सद्भाविक प्रतीत होते हैं एवं प्रकरण में जानबूझकर अनदेखी किया जाना प्रतीत नहीं होता है तथा अधिवक्ता अप्रार्थी ने भी रेस्टोर किये जाने में कोई आपत्ति जाहिर नहीं कर सहमति व्यक्त की है। अतः यह प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं मूल वाद/स्थगन प्रार्थना पत्र पुनः नए नम्बर पर दर्ज किया जावे। यह प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (जसमीतसिंह संधू) उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर ब्यावर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jasmeet Singh Sandhu
Date: 2019.12.07 15:24:21 IST
Reason: SelfAttested